अध्याय- I

परिचय

1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य

भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 को सितंबर 2005 में अधिसूचित किया एवं बाद में इसका नाम बदलकर (अक्टूबर 2009) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा अधिनियम) कर दिया। मनरेगा का अधिदेश प्रत्येक परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य स्वैच्छिक रूप से करने को तैयार हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लक्ष्य निम्नलिखित प्रदान करना है:

- रोजगार के अवसर प्रदान करके ग्रामीण भारत में रहने वाले सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा;
- स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण, बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा;
- ग्रामीण भारत में सूखा-प्रतिरोधी उपाय और बाढ़ प्रबंधन;
- सामाजिक रूप से वंचित समूहों, विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अधिकार-आधारित कानून के माध्यम से सशक्तिकरण;
- विभिन्न गरीबी उन्मूलन और आजीविका योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से विकेन्द्रीकृत और भागीदारी योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करना;
- शासन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा अपेक्षित छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना)[1] को अधिसूचित किया (मार्च 2006)। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को पहले चरण में 11 जिलों में लागू किया गया एवं फिर चार अतिरिक्त जिलों में (अप्रैल 2007) विस्तारित किया गया तथा अप्रैल 2008 से सभी शेष जिलों को भी योजना में शामिल किया गया।

[1] छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार योजना (मनरेगा योजना) के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने (2013) यह निर्णय लिया कि अपनी संसाधनों से प्रत्येक परिवार को अतिरिक्त 50 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाएगा।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मनरेगा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग है। मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया और इसे मई 2011 में एक सोसाईटी रूप में पंजीकृत किया गया। यह छत्तीसगढ़ में योजना के सफल क्रियान्वयन और सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए शीर्ष संस्था है।

छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए संगठनात्मक ढाँचा **चार्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा

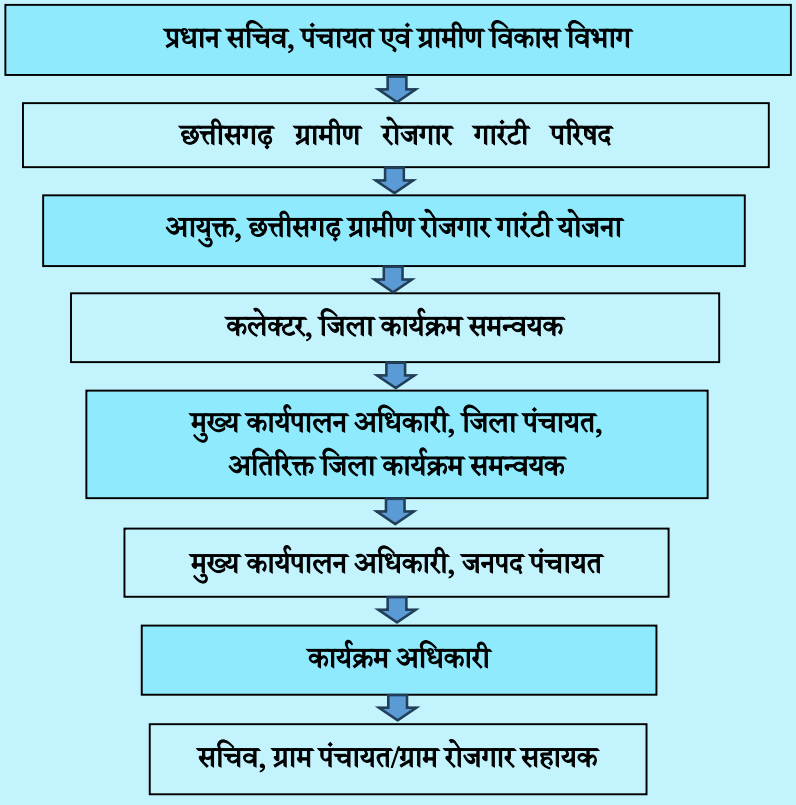

1.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में नामित अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र और विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों को **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: विभिन्न स्तरों पर कर्तव्य एवं दायित्व

स्तर	नामित अधिकारी	कर्तव्य एवं दायित्व
राज्य स्तर	प्रधान सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	राज्य कार्यक्रम समन्वयक (आयुक्त) को मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना, संबंधित विभागों के साथ समन्वय एवं निगरानी करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम अधिकारी को आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना।
	छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद	परिषद योजना के सफल क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देने, इसके कार्यान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने, राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
	आयुक्त, मनरेगा योजना, छत्तीसगढ़	जिला कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय, योजना की समीक्षा एवं निगरानी तथा प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
जिला स्तर	जिला कलेक्टर, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में नामित	जिला स्तर पर योजना का समग्र समन्वय एवं क्रियान्वयन।
	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	योजना के क्रियान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक की सहायता करना।
विकासखंड/ जनपद स्तर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	जनपद स्तर पर योजना के नियंत्रक के रूप में नामित।
	कार्यक्रम अधिकारी	रोजगार मांग को कार्यों से मिलान करना, जनपद स्तर पर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयकों के साथ समन्वय करना।
ग्राम पंचायत स्तर	पंचायत सचिव	जॉब कार्ड हेतु आवेदन एवं रोजगार मांग प्राप्त करना, मस्टर रोल का संधारण, मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा परिसंपत्तियों का रखरखाव।
	ग्राम रोजगार सहायक	अभिलेखों के संधारण एवं निष्पादित कार्यों की निगरानी करने के लिए पंचायत सचिव की सहायता करना।